AGRICULTURE DEPARTMENT

The 30th December, 1983

No. 7006-Agri.I (3)-83/18218.—In partial modification of the Haryana Government (Agriculture Department). Notification No. 1110-Agri. I (3)-83/7777, dated the 25th May, 1983, published in Haryana Government Gazette, dated the 14th June, 1983, the Governor of Haryana is pleased to order that under "State Level Judging Committee" the following shall be added: —

6. Registrar. Co-operative Societies, Haryana Chandigarh. .. Member

7. Director, Animal Husbandry, Haryana, Chandigarh. ... Member

8. Director, (Field Extension), Government of India, Directorate of Extension West Block No. 8, R. K. Puram, New Delhi. .. Member

A. C. AGGARWAL,

Joint Secretary to Government, Haryana,
Agriculture Department.

REGISTRATION DEPARTMENT

The 22nd December, 1983

No. R/3-92/11295.— It is notified for general information that the Special Examination prescribed under Rule 6 of the Punjab Document Writers Licensing Rules 1961, published at pages 17 to 21 of Part III of Punjab Government Gazette of the 5th January, 1962 as per Department Notification No, R/3-192/384, dated the 16th December, 1961 shall be held in the Lajpat Rai Bhawan, Sector 15, Chandigarh on the 25th and 26th Februery, 1984 in the following subjects:—

Serial No.	Subject	Time	Date
1.	Document Writing	1 P. M, to 4 P.M.	25th February, 1984
2.	Legal Procedure:—		
	(i) The Indian Registration Act	9:30 AM to 12.30 PM	26th Febuary, 1984
	(ii The Punjab Registeration Annual		
	(iii) The Indian Stamp Act, 1899		
	(iv) The Punjab Stamp Manual		
	(v) Sections 54, 59, 107 and 123 of the transfer of Property Act		
	(vi) The untouchability (offences) Act, 1955		
3,	Dictation and Caligraphy	3 PM to 4.30 PM	26th February, 1984

2, Every one intending to take the examination should submit application to the Registrar (Deputy Commissioner of his district) giving the following particulars in his own hand :—

(a) Applicant's name. Father Name. Date of birth (According to British Calendar. residence and present occupation, if any).

(b) The names of the two responsible persons to whom reference may be made to the applicant's character.

(c) Whether the applicant was ever convicted of any offence involving moral turpitute.

(d) The place where the applicant desires to practise as a document writer.

(e) Academic qualification of the applicant.

Every application should be accompanied by :—

1. A treasury challan in proof of deposit of rupees five as fee under the head 030 Stamp and Registeration fee—other receipts.

2. An attached copy of the Matriculation or Higher Secondary Examination Certificate ; and

3. An attesed copy of the character certificate from respectable person or from the Head of Institution which the applicant last. attended.

SUSHIL DOGRA,
Inspector General of Registration,
Haryana.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 5 जनवरी, 1984

सं. जो.वि./एफ़.डी./83/679.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज प्रस्टोलाईट आफ इण्डिया लि., 16/4 मेन मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मालले, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या प्रवन्धकारिणी द्वारा जो दिनांक 22 अगस्त, 1983 से कारख़ाना में तालाबन्दी घोषित की गई है वह उचित है ?

2. क्या श्रमिकगण उक्त तालावन्दी की समाप्ति तक के वेतन के हकदार हैं ? यदि हैं, तो किस विवरण में ?

3. क्या संलग्न सूची में दिये गये 58 श्रमिकों की सेवा समाप्ति के आदेश उचित हैं ? यदि नही, तो श्रमिक किस राहत के हकदार हैं ?

सूची

1.	सुरिन्द जीत सिह	इलैक्ट्रोनिक
2.	श्री यशपाल	फिन्टर
3.	गंगा प्रसाद	,,
4.	किरपा राम	,,
5.	भावी चन्द	होरन सैक्शन
6.	राम प्रवेश	वाइंडिंग
7.	सुखबीर सिह	,,
8.	सूवे सिह	,,

9.	गोबिन्द सिंह	वाईंडिंग
10.	किशन पाल	,,
11.	कृष्णा देवी	,,
12.	अरुन कुमार	,,
13.	जगदीश	रैगुलेटर
14.	धर्मपाल	,,
15.	भीम सिंह	पलाटिंग
16.	पांचू प्रशाद	सोल स्वीच
17.	भीमसैन	मोलडिंग
18.	भजन लाल	पलेटिंग
19.	फकीर चन्द	मशीन शोप
20.	तेज पाल	पेन्ट शोप
21.	बाछी राम	सेवादार
22.	गोपाल	पेन्ट शोप
23.	अगस्तमनी	,,
24.	होरी लाल	प्रैस शोप
25.	विशम्बर दयाल	रैगुलेटर
26.	रिसाल सिंह	पेन्ट शोप
27.	हरिन्द्र सिंह	,,
28.	बलबीर सिंह	एफ. एस. स्टोरिज
29.	खयाली राम	,,
30.	सूरज भान	टी/रूम
31.	मेला राम	,,
32.	भवानी	प्रैस शोप
33.	चान सिंह	डिस्ट
34.	चौथ मल	,,
35.	बदीन	रैगुलेटर
36.	प्रेम चन्द	
37.	राज कुमार	
38.	तुला राम	
39.	कन्हैया राय	
40.	कन्हैया लाल	
41.	प्रमेश्वर सेठ	
42.	राम लखन	
43.	तारा चन्द	
44.	सावित्री देवी	
45.	लक्ष्मी देवी	
46.	ज्ञान चन्द	

47. सरवण कुमार
48. राम नयनी
49. अशोक कुमार डाई फिटर
50. जी. आर. शर्मा
51. वेद प्रकाश
52. चन्दगी राम
53. हजारा सिंह
54. सरजीत सिंह
55. मदन लाल
56. सुभाष कुमार
57. दर्शन सिंह
58. वेदानन्द झा

मुनीश गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 5 जनवरी, 1984

सं. ओ.वि./अम्बाला/339-83/686.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा अरबन डवैलमैंट अथोरटी चण्डीग ,के श्रमिक श्री प्रेम चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री प्रेम चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./132-83/692.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एवरैस्टस्टील फैबरीकैटरज तिगांव रोड, बल्लबगढ़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री हरि प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री की हरि प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?